जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना अफजलगढ़ दिनांक – 09.01.2025

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने अभियुक्त को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण –

थाना अफजलगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त योगेश कुमार उर्फ जस्सा पुत्र यादराम निवासी ग्राम शिवपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को 20 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया। इस सम्बन्ध मे थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 09/2025 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

योगेश कुमार उर्फ जस्सा पुत्र यादराम निवासी ग्राम शिवपुरी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

बरामदगी विवरण

20 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.का0 540 आसिफ अली थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

2.का0 2106 सुरेश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस **दिनांक 09.01.2025**

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनवरी -2025 के दौरान यातायात पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण

यातायात निदेशालय एवं पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर के निर्देशानुसार जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु यातायात पुलिस द्वारा वाहनों की चेंकिग की जा रही हैं जिसके क्रम में यातायात के नियमों का पालन न करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यावाही की जा रही है तथा वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने के संबंध में जागरुक किया जा रहा है।

आज दिनांक 09.01.2025 को यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा वाहन चेकिंग की गयी, इस दौरान बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन चलाने वाले लगभग **150** वाहन चालकों को फूल आदि देकर यातायात के नियमों का पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया तथा यातायात नियमों का उलघंन करने वाले **397** वाहनों के चालान किये गये जिसमें **6,30,000/-** रुपये का शमन शुल्क वसूला गया, जिसमें नशे की हालत में वाहन चलाने वाले **12** वाहनों के चालान किये गये, ओवर स्पीड में चलने वाले **35** वाहनों के स्पीड रडार लगाकर चालान किये गये, गलत दिशा में चलने वाले **90** वाहनों के चालान किये गये, दुपहिया वाहनों पर बिना हेल्मेट के चलने वालों के **175** वाहनों के चालान किये गये, बिना सीट बैल्ट के वाहन चलाने वाले **85** वाहनों के चालान किये गये एवं 01 गन्ने के ट्रक को सीज किया गया।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 09.01.2025**

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त गाडी / आलाकत्ल, मृतक की मोटरसाइकिल आदि सहित किया गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.01.2025 को वादी श्री तेजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 विजयपाल सिंह निवासी ग्राम नूरपुर छीपरी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर ने थाना शेरकोट पर तहरीर दी कि दिनांक 07.01.2025 को उसका भाई प्रमोद कुमार (उम्र करीब 30 वर्ष) मोटरसाइकिल से धामपुर के लिये निकला था, जोकि वापस लौटकर नही आया।

दिनांक 08.01.2025 को वादी के भांजे पंकज पुत्र अजयपाल निवासी ग्राम चकोरी थाना कांठ जनपद मुरादाबाद ने बताया कि प्रमोद को विपिन, जयवीर व एक अन्य व्यक्ति अज्ञात वैगन-आर कार नं0 UK 18 B 0779 में ले जाते हुए देखे गये है। इस सम्बन्ध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 011/2025 धारा 140(1) बी0एन0एस0 बनाम विपिन, जयवीर व एक व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही –

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में नामित अभियुक्तगण 1.विपिन कुमार पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर 2.जयवीर पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम हाफिजाबाद शर्की थाना शेरकोट जनपद बिजनौर व प्रकाश में आये अभियुक्त 3.थान सिंह पुत्र जिठवा सिंह निवासी ग्राम ईस्माईलपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर जनपद मुरादाबाद के थाना छजलैट क्षेत्र के ग्राम ईस्माइलपुर से अभियुक्त थान सिंह के खेत से अपहृत प्रमोद का शव, घटना में प्रयुक्त वैगन-आर गाडी नं0 UK 18 B 0779, मृतक प्रमोद की मोटरसाईकिल स्पेलन्डर UP 20 AM 6540, फावडा, प्रमोद का गला घोंटने में प्रयुक्त डोरी, मृतक का आधार कार्ड बरामद किया गया। अभियोग में साक्ष्यों के आधार पर धारा 103(1)/238/3(5) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये कि विपिन ने प्रमोद (मृतक) से 60 हजार रुपये उधार लिये थे। प्रमोद अपने पैसो की मांग करता था। प्रमोद के पैसे न देने पडे इसलिये विपिन ने अपने दो अन्य दोस्त जयवीर व थान सिंह के साथ मिलकर प्रमोद की हत्या करने की योजना बनायी।

योजनानुसार दिनांक 07.01.2025 को समय करीब 11.00 बजे अभियुक्तों ने प्रमोद को फोन करके तहसील धामपुर पर बुलाया तथा शराब पिलाने एवं प्रमोद के बकाया पैसे देने के बहाने प्रमोद को जबरन अपनी वैगन-आर कार नं0 UK18B0779 में बैठाकर धामपुर तहसील से स्योहारा रोड होते हुए चल दिये। तीनों अभियुक्तों ने रास्ते में जबरन प्रमोद को शराब पिलाई तथा जब प्रमोद नशे में हो गया तो अभियुक्तों ने डोरी से प्रमोद का गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद तीनो अभियुक्तगण प्रमोद को लेकर थाना छजलैट क्षेत्र के ग्राम इस्माईलपुर के जंगल में थान सिंह के खेत में नदी के किनारे ले गये तथा थान सिंह के खेत में ही पूर्व से रखे फावड़े से गड्ढा खोदकर शव को गड्ढे में दबा दिया। अभियुक्तगण द्वारा मृतक प्रमोद की मोटरसाईकिल स्पलेण्डर नं0 UP 20 AM 6540 तहसील धामपुर में टंकी के पास दीवार के किनारे खडी कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

1.विपिन कुमार पुत्र पदम सिंह निवासी ग्राम बालकिशनपुर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

2.जयवीर पुत्र राजेश कुमार निवासी ग्राम हाफिजाबाद शर्की थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

3.थान सिंह पुत्र जिठवा सिंह निवासी ग्राम ईस्माईलपुर थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद

बरामदगी –

अपहृत प्रमोद का शव

घटना में प्रयुक्त वैगन-आर गाडी नं0 UK 18 B 0779

मृतक प्रमोद की मोटरसाईकिल स्पेलन्डर UP 20 AM 6540

गड्ढा खोदने में प्रयुक्त फावडा

गला घोंटने में प्रयुक्त डोरी

मृतक का आधार कार्ड

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त विपिन उपरोक्त –

मु0अ0सं0 011/2024 धारा 140(1)/103(1)/238/3(5) बी0एन0एस0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

अभियुक्त जयवीर उपरोक्त –

मु0अ0सं0 33/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 107/2015 धारा 41/109 सीआरपीसी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

मु0अ0सं0 011/2024 धारा 140(1)/103(1)/238/3(5) बी0एन0एस0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

अभियुक्त थान सिंह उपरोक्त –

मु0अ0सं0 011/2024 धारा 140(1)/103(1)/238/3(5) बी0एन0एस0 थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. थानाध्यक्ष श्री पुष्पेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 श्री बिजेन्द्र सिंह राठी थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3. उ0नि0 श्री हरेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
4. उ0नि0 श्री गौरव कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
5. उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
6. हे0कां0 166 अंकुर पवांर थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
7. कां0 1363 रामकुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
8. कां0 1731 गजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
9. कां0 06 अंकुर कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
10. कां0 159 आमोद कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नहटौर **दिनांक – 09.01.2025**

थाना नहटौर पुलिस ने मु0अ0सं0 424/24 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 28.12.2024 को वादिया ने थाना नहटौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त नदीम पुत्र यासीन निवासी ग्राम तिलोकवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर वादिया की नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नहटौर पर मु0अ0सं0 424/24 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग मे धारा 87/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई।

कार्यवाही –

आज दिनांक 09.01.2025 को थाना नहटौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 424/24 धारा 137(2)/87/64(1) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त नदीम उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

नदीम पुत्र यासीन निवासी ग्राम तिलोकवाला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

2.कां0 695 नवीन कुमार थाना नहटौर जनपद बिजनौर।

3.कां0 749 राजदीप थाना नहटौर जनपद बिजनौर।